

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15646/2024

- इंडियन मिशन ऑफ मेडिकल साइंसेज सोसाइटी, अपने अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लाल अग्रवाल के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय हाउस नंबर 11-ए, तलवंडी, कोटा (राजस्थान) में स्थित है।
- सुधा मेडिकल कॉलेज, अपने प्राचार्य और नियंत्रक के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय 128, ग्राम उमेदपुरा, वाया जगपुरा, तहसील लाडपुरा, झालावाड़, एनएच-52, कोटा-325003 में स्थित है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- भारत संघ, अपने सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (चिकित्सा शिक्षा-1), नई दिल्ली के माध्यम से।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अपने महासचिव के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय ऐवान-ए-गालिब मार्केट, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली में स्थित है।
- मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी), अपने अध्यक्ष के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय ऐवान-ए-गालिब मार्केट, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली में स्थित है।
- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रेड-1), सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय सेक्टर-18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302035 में स्थित है।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री विकास बालिया वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री एस.एस. शेखावत श्री डेविड मेहला श्री अक्षय शर्मा
प्रतिवादी के लिए	:	श्री आर.डी. रस्तोगी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अंगद मिर्धा श्री देवेश यादव श्री विज्ञान शाह, एएजी के साथ श्री यश जोशी श्री संदीप पाठक के लिए श्री अक्षत शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन

आदेशरिपोर्ट करने योग्यआरक्षित दिनांक : 17/10/2024घोषित दिनांक : 05/11/2024"बिना किताबों के बीमारी की घटनाओं का अध्ययन करना एकअज्ञात समुद्र में यात्रा करने जैसा है, जबकि बिना मरीजों केकिताबों का अध्ययन करना समुद्र में बिल्कुल न जाने जैसा है।"

यह प्रसिद्ध कहावत न केवल एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता को स्पष्ट करती है, बल्कि उन अनिर्दिष्ट/निर्दिष्ट आवश्यकताओं को भी स्पष्ट करती है जो वास्तव में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान को एक उत्कृष्ट संस्थान और एक आदर्श स्वास्थ्य सेवा इकाई/अस्पताल बनाती हैं।

1. वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

"अतः, इस माननीय न्यायालय से अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाए, जिसके बाद माननीय न्यायालय प्रतिवादियों को निम्नलिखित प्रकृति का उचित रिट, आदेश या निर्देश पारित करने की कृपा करे:-

I. 04.07.2024 के आदेश को, एमबीबीएस छात्रों की प्रवेश क्षमता को 150 से घटाकर 100 सीटों तक करने की सीमा तक, निरस्त और रद्द किया जाए।

II. प्रथम अपील को खारिज करने वाले 06.08.2024 के आदेश और द्वितीय अपील को खारिज करने वाले 13.09.2024 के आदेश को निरस्त और रद्द किया जाए।

III. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को शैक्षणिक सत्र 2024-25 और उसके बाद के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए अनुमोदन प्रदान करने की अनुमति दें।

IV. न्यायालय जो भी रिट या निर्देश उचित, न्यायसंगत और सही समझे, वह याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी करने की कृपा करे।

IV. याचिकाकर्ता के पक्ष में लागत भी प्रदान की जाए।"

2. वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के तहत और मुख्य रूप से स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 तथा नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों को शुरू करने, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन तथा रेटिंग विनियम, 2023 के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में दायर की गई है।
3. प्रारंभ में, याचिकाकर्ता-सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान को बढ़ावा देना और चिकित्सा शिक्षा तथा बड़े पैमाने पर चिकित्सा कल्याण का विकास करना है। उक्त सोसाइटी 10.03.2010 (परिशिष्ट-1) को पंजीकृत हुई थी और तब से कार्यरत है। यह भी तर्क दिया गया था कि चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (जिसे इसके बाद 1956 का अधिनियम कहा गया है) द्वारा विनियमित था, जिसमें देश के भीतर शिक्षा प्रदान करने और चिकित्सा शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए परिषद का विकास किया गया था।
4. इसी को ध्यान में रखते हुए और 1956 के अधिनियम की धारा 10 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया था कि 1956 के अधिनियम के अनुसार, भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना की गई थी, हालांकि, बाद में केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद को भंग कर दिया और 1956 के अधिनियम को निरस्त कर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (जिसे इसके बाद 2019 का अधिनियम कहा गया है) को शामिल किया। उस दिन से चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र 2019 के अधिनियम द्वारा शासित और विनियमित होता है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने अपनी भूमि पर एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए, अनुमति पत्र (जिसे इसके बाद एलओपी कहा गया है) जारी करने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के समक्ष आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने एलओपी के मूल्यांकन और अनुदान के लिए वांछित आवश्यकता को भी संलग्न किया।

5. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक सत्यापन के बाद 24.03.2023 के पत्र (केवल तीन शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए वैध) द्वारा याचिकाकर्ता-सोसाइटी को 150 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति जारी की (परिशिष्ट-4)। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने राज्य अधिकारियों से आवश्यक संबद्धता प्राप्त करने के बाद राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (जिसे इसके बाद आरयूएचएस कहा गया है) से संबद्धता और मान्यता के लिए आवेदन किया। उक्त प्राधिकरण ने 09.04.2023 के पत्र (परिशिष्ट-5) द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की। इसके बाद राज्य अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियाँ (पर्यावरण और सुरक्षा अनुमतियों सहित) प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता-सोसाइटी ने उक्त कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति हेतु राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के समक्ष आवेदन किया (परिशिष्ट-6)।

6. परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (जिसे इसके बाद एमएआरबी कहा गया है) ने 03.04.2024 को याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें कुछ कमियाँ बताई गईं जो याचिकाकर्ता-सोसाइटी को उक्त मेडिकल कॉलेज स्थापित करने से रोकेंगी (परिशिष्ट-7)। फिर भी, याचिकाकर्ता-सोसाइटी ने अपने 10.04.2024 के उत्तर (परिशिष्ट-8) के माध्यम से उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया।

7. कमियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों ने एक औचक निरीक्षण किया, जिसमें संस्थान में शिक्षण कर्मचारी और प्रसव की कमी के साथ-साथ कुछ कमियाँ बताई गईं। इसके बाद, प्रतिवादियों द्वारा वर्णित कमियों के कारण उक्त मेडिकल कॉलेज की प्रवेश क्षमता 04.07.2024 के पत्र (परिशिष्ट-9) द्वारा 150 सीटों से घटाकर 100 सीटें कर दी गईं। सीटों की प्रवेश क्षमता में उपरोक्त कमी से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने 10.07.2024 को उपयुक्त मंच (परिशिष्ट-10) के समक्ष अपील संख्या 503 दायर की। उक्त अपील में याचिकाकर्ता ने उन आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से बताया था जो उक्त प्रवेश क्षमता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य थीं और आवश्यक प्रदर्शों के साथ इसकी औचित्य भी प्रस्तुत किया था।

8. हालांकि, 06.08.2024 को सुधा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोटा (उक्त मेडिकल कॉलेज) के प्राचार्य/डीन को सुनवाई का अवसर देने के बाद उक्त अपील खारिज कर दी गई। परिणामस्वरूप, एमएआरबी द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखा गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर याचिकाकर्ता-सोसाइटी ने उच्च अधिकारियों यानी केंद्र सरकार के समक्ष द्वितीय अपील (परिशिष्ट-12) दायर की, साथ ही प्रासंगिक प्रदर्श भी प्रस्तुत किए।

9. इस स्थिति पर, याचिकाकर्ता-सोसाइटी द्वारा दायर द्वितीय अपील पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया था कि उक्त अपील केवल याचिकाकर्ता के कथनों को नोट करते हुए तय की गई थी, बिना कोई निष्कर्ष दिए (परिशिष्ट-13)। अतः, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह बिना उचित विचार के पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त आदेश को स्पष्ट आदेश नहीं कहा जा सकता है, अतः संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन प्रतिवादियों द्वारा किया गया है।

10. आगे तर्क देते हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि प्रतिवादी, राज्य की एक इकाई होने के नाते, जानबूझकर मनमानी का सहारा लिया है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपीलों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया, यहां तक कि उसमें रखे गए/प्रदर्शित किसी भी सामग्री की सराहना किए बिना। यह भी कथन किया गया था कि प्रतिवादियों के उक्त कार्य के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता-सोसाइटी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि बुनियादी ढांचे में और उक्त मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भारी निवेश किया गया था।

11. इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता ने 2019 के अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों पर, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 28(3) पर भरोसा किया था, और यह कथन किया था कि उक्त प्रावधान के अनुसार, नए कॉलेज की स्थापना के लिए एमएआरबी का अनुमोदन या अस्वीकृति का निर्णय, ऐसी प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और सूचित किया जाना चाहिए, और अस्वीकृति से पहले दोष को सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। फिर भी, वर्तमान

मामले में उक्त योजना प्रस्तुत करने के छह महीने की अवधि के भीतर कोई निर्णय सूचित नहीं किया गया था। संक्षेप में, प्रासंगिक प्रावधान नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

"28. नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति।—

(1) कोई भी व्यक्ति मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना नया मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं करेगा या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगा या सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड को ऐसे प्रारूप में, जिसमें ऐसे विवरण हों, ऐसी फीस के साथ, और ऐसे तरीके से, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, एक योजना प्रस्तुत कर सकता है।

(3) मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, धारा 29 में निर्दिष्ट मानदंडों को उचित ध्यान में रखते हुए, उप-धारा (2) के तहत प्राप्त योजना पर विचार करेगा और ऐसी प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसी योजना को या तो अनुमोदित करेगा या अस्वीकृत करेगा: बशर्ते कि ऐसी योजना को अस्वीकृत करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को दोषों को सुधारने का अवसर दिया जाएगा, यदि कोई हो।

(4) जहां उप-धारा (3) के तहत एक योजना अनुमोदित की जाती है, ऐसा अनुमोदन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए उप-धारा (1) के तहत अनुमति होगी।

(5) जहां उप-धारा (3) के तहत एक योजना अस्वीकृत की जाती है, या जहां उप-धारा (1) के तहत एक योजना प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, संबंधित

व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति के पंद्रह दिनों के भीतर या, जैसा भी मामला हो, छह महीने की अवधि समाप्त होने पर, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, योजना के अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

(6) आयोग उप-धारा (5) के तहत प्राप्त अपील पर अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लेगा और यदि आयोग योजना को अनुमोदित करता है, तो ऐसा अनुमोदन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए उप-धारा (1) के तहत अनुमति होगी और यदि आयोग योजना को अस्वीकृत करता है, या निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहता है, तो संबंधित व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति के संचार के तीस दिनों के भीतर या, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने पर, केंद्र सरकार के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

(7) मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड किसी भी समय, सीधे या चिकित्सा पेशे के अनुभव और सत्यनिष्ठा वाले किसी अन्य विशेषज्ञ के माध्यम से और बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी चिकित्सा संस्थान का मूल्यांकन और आकलन कर सकता है और ऐसे चिकित्सा संस्थान के प्रदर्शन, मानकों और मानदंडों का आकलन और मूल्यांकन कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" शब्द में एक विश्वविद्यालय, ट्रस्ट या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है।"

12. इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट-14, 15, 16 पर भरोसा किया गया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि समान परिस्थितियों में प्रतिवादी विभाग ने वहां के कॉलेजों को लाभ प्रदान किया था, जैसा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज, बांसवाड़ा (राजस्थान), सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर और सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमरावती (महाराष्ट्र) के मामले

में यह राय दी गई थी कि कमियों को अगले शैक्षणिक सत्र तक ठीक किया जा सकता है। फिर भी, नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे निजी कॉलेजों के मामले में भी, द्वितीय अपील में बताई गई कमियों को बाद के शैक्षणिक सत्र तक ठीक करने की अनुमति दी गई थी। अतः, समानता के सिद्धांत के अनुसार, याचिकाकर्ता को भी यही प्रदान किया जाना चाहिए।

13. इसके अतिरिक्त, तिरुपति बालाजी एजुकेशन ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में प्रतिपादित सिद्धांत पर भरोसा किया गया है, जो एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12053/2024 के रूप में पंजीकृत है, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम कलिंगा इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट किया गया है, जो (2016) 11 SCC 522 में है।

14. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया था कि प्रतिवादियों ने 08.10.2024 (परिशिष्ट-19) को काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद अनंतिम सीट मैट्रिक्स अधिसूचित किया है और काउंसलिंग के तीसरे दौर के लिए भी कार्यक्रम प्रदान किया है जिसे 23.10.2024 तक पूरा किया जाना है। हालांकि, काउंसलिंग का अगला दौर बाद में अधिसूचित किया जाएगा, इस प्रकार, वर्तमान मामले में काउंसलिंग चल रही है और इसमें समय लगने की संभावना है क्योंकि इसके लिए तीसरा दौर अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

15. इसके विपरीत, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का दृढ़ता से विरोध किया था और यह कथन किया था कि बुनियादी ढांचा सभी रोगियों के लिए देखभाल और कल्याण के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के मौलिक उद्देश्य का समर्थन करने वाला एक मुख्य आधार है, साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक अच्छा अनुभव भी। चिकित्सा उपकरणों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण, एक जिम्मेदार प्रमुख द्वारा पर्यवेक्षित, यह सुनिश्चित करता है कि उच्च गुणवत्ता वाली नैदानिक सेवाओं के वितरण के लिए उपयुक्त चिकित्सा उपकरण उपलब्ध और उपयुक्त हों। इसके लिए आवश्यकताओं के विनिर्देश से लेकर प्रतिस्पर्धी उत्पादों के मूल्यांकन, विसंक्रमण, खरीद, परिचय, रखरखाव और गुणवत्ता आश्वासन से लेकर निपटान और उपकरण प्रतिस्थापन के लिए

वित्तपोषित योजनाओं तक एक उपकरण के जीवन चक्र के हर तत्व की सूक्ष्म जांच की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, जिम्मेदार प्रमुख को उपयुक्त नई तकनीकों का मूल्यांकन और परिचय करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकताओं को सेवा विकास प्रस्तावों में शामिल किया जाए।

16. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना और सीटों के आवंटन के लिए अनुमोदन 2019 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासित होता है, विशेष रूप से धारा 28 को धारा 57 के साथ पढ़ा जाए। यह भी तर्क दिया गया था कि 02.06.2023 के विनियम (2019 के अधिनियम की धारा 57(2) – विनियम बनाने की शक्तियों के अनुसार जारी) के माध्यम से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अनुसूची II के अनुसार, एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए 40, असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए 55 और प्रोफेसरों के लिए 19 अनिवार्य संख्या है, जो कुल शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 114 बनाती है, साथ ही 32 डेमोस्ट्रेटर और कम से कम 58 सीनियर रेजिडेंट की संख्या भी। फिर भी, एमएआरबी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान, उनके द्वारा कुछ कमियाँ बताई गईं। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि उक्त निरीक्षण एक टीम द्वारा किया गया था जिसमें आवश्यक सदस्य और उक्त क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे, जो शासी कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से किया गया था।

17. उक्त कमियों को याचिकाकर्ता को 03.04.2024 के कारण बताओ नोटिस के माध्यम से विधिवत सूचित किया गया था, जिसमें नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन (आवेदन आईडी संख्या एनएमसी/यूजी/2024-25/000025) पर विचार किया गया था, जैसा कि 2019 के अधिनियम की धारा 28(3) के परंतुक के अनुसार है (परिशिष्ट-7)। उक्त कारण बताओ नोटिस में उचित औचित्य या प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आवश्यक अवसर विधिवत प्रदान किया गया था, साथ ही एक तालिका भी दी गई थी जिसमें एमएआरबी द्वारा विचार किए गए कारकों और विशेष रूप से जनशक्ति, इंजीनियरिंग सेवाओं और अस्पताल सेवाओं, भवन और अवसंरचनात्मक कमी से संबंधित कमियों को दर्शाया गया था।

18. इस पृष्ठभूमि में, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया था कि प्रतिवादी ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन

किए गए 150 एमबीबीएस सीटों के बजाय 100 एमबीबीएस सीटों के साथ स्थापना के लिए एलओपी प्रदान करने का निर्णय लिया था, क्योंकि याचिकाकर्ता-मेडिकल कॉलेज में शिक्षण संकाय की 20.18% और ट्यूटर/रेजिडेंट की 18.97% गंभीर कमियाँ पाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि अस्पताल और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ सीधे संक्रमित/चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्ति से संबंधित हैं, अतः अपनी सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान करने के लिए ऐसे अस्पताल पूरी तरह से चालू होने चाहिए और अपने उद्देश्य का पालन करने में सक्षम होने चाहिए। अतः, न्यायालयों को इस प्रकृति के विवादों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

19. इस परिस्थिति पर, विद्वान अधिवक्ता ने परिशिष्ट 11 यानी एनएमसी की अपील समिति (प्रथम अपील) के निर्णय पर भरोसा किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सुधा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोटा के डीन/प्राचार्य ने केवल 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एमएआरबी के निर्णय की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा उक्त अपील के न्यायनिर्णयन के दौरान एमएआरबी की उक्त रिपोर्ट के संबंध में कोई खंडन नहीं किया गया था। अतः, याचिकाकर्ता विवर्जन के सिद्धांत से बाध्य हैं। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया था कि बाद में, 2019 के अधिनियम की धारा 57 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिवादियों ने वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियम, 2020 के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को तैयार किया था, जो 29.10.2020 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुए थे (परिशिष्ट-आर-2/1)। उक्त विनियम शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से लागू हैं, और 50/100/150/200/250 एमबीबीएस सीटों की मांग करने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए अनुमति प्रदान करने के साथ-साथ वार्षिक नवीनीकरण के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं का प्रावधान करते हैं।

20. 2019 के अधिनियम की धारा 28(3) के तहत पारित आदेश से व्यथित होने के लिए याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्क के संबंध में, यानी कि यह छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया गया था, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया था कि इसे छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद धारा 28(5) के प्रावधानों के तहत चुनौती दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया था कि परिशिष्ट 15, 16 और 17 जिन पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया है, वे भिन्न तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के हैं क्योंकि उनमें, कॉलेज पहले से ही अस्तित्व में थे और वर्तमान मामले की तरह नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति नहीं मांग रहे थे।

21. इसके अतिरिक्त, 2023 के विनियमों के संबंध में दिए गए तर्क तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ कमियाँ, जिनमें जनशक्ति की कमी शामिल है, को बाद के चरण में ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 2023 के विनियमों की सांविधिक प्रयोज्यता है और न्यायिक समीक्षा के तहत इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह 2019 के अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है।

22. इसके बाद, विद्वान अधिवक्ता ने 01.08.2022 और 25.01.2023 के परिपत्रों (क्रमशः परिशिष्ट-आर-2 और आर-3) पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-एनएमसी ने सभी निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों (पूरे भारत में) के संबंध में अपनी दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से बताए और प्रसारित किए थे, जिसमें उन आवश्यकताओं का उल्लेख था जिनके परिणामस्वरूप अयोग्यता और लाइसेंस रद्द करना (यदि पहले से प्रदान किया गया हो) होगा, और यह विशिष्ट शर्त थी कि यूजी या पीजी सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि केवल आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएस) और अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) पर/द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर विचार करने के बाद ही प्रदान की जाएगी। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों को शुरू करने, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन तथा रेटिंग विनियम, 2023 के संदर्भ में, एमएआरबी ने शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए अपने दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, उक्त दिशानिर्देशों के दिशानिर्देश 2(ए) के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले, केवल वे कॉलेज जिनके संकाय की संख्या पिछले तीन महीनों से आवेदन की अंतिम तिथि (अर्थात् 19.09.2023) तक एईबीएस प्लेटफॉर्म पर 75% से अधिक उपस्थिति है, उन्हें मेडिकल कॉलेज की स्थापना और/या स्वीकृत प्रवेश क्षमता के नवीनीकरण के लिए पात्र माना जाएगा।

23. यह भी तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा भरोसा किया गया निर्णय – तिरुपति बालाजी एजुकेशन ट्रस्ट और अन्य (सुप्रा) अपील के लिए खुला है और अभी तक सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि/बरकरार नहीं रखा गया है। फिर भी, उक्त सिद्धांत में कमजोर कड़ी है, क्योंकि उसमें कुछ कानूनी आधारों पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह 2019 के अधिनियम और 2023 के विनियमों के मूल प्रावधानों पर विचार किए बिना पारित किया गया है।

24. किए गए कथनों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम जेएसएस मेडिकल कॉलेज एंड अन्य में प्रतिपादित सिद्धांत पर भरोसा किया था, जो (2012) 5 SCC 628 में रिपोर्ट किया गया है; मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (केआईएमएस) एंड अन्य जो (2016) 11 SCC 530 में रिपोर्ट किया गया है; फैजा चौधरी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य जो (2012) 10 SCC 149 में रिपोर्ट किया गया है; एस. कृष्णा श्रद्धा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य जो (2020) 17 SCC 465 में रिपोर्ट किया गया है, फुलजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य जो (2010) 11 SCC 455 में रिपोर्ट किया गया है, वेटेरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जो (2000) 1 SCC 750 में रिपोर्ट किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य बनाम गोपाल डी. तीर्थानी जो (2003) 7 SCC 83 में रिपोर्ट किया गया है, हरीश वर्मा बनाम अजय श्रीवास्तव जो (2003) 8 SCC 69 में रिपोर्ट किया गया है, भारती विद्यापीठ बनाम महाराष्ट्र राज्य जो (2004) 11 SCC 755 में रिपोर्ट किया गया है, प्रोफेसर यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य जो (2005) 5 SCC 420 में रिपोर्ट किया गया है, एमसीआई बनाम रामा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र जो (2012) 8 SCC 80 में रिपोर्ट किया गया है और उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम संदीप कुमार बाल्मीकि और अन्य जो (2009) 17 SCC 555 में रिपोर्ट किया गया है, और यह भी प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामले में 06.08.2024 और 13.09.2024 के आदेश वर्तमान विवाद के महत्वपूर्ण पहलुओं पर उचित विचार करने के बाद और शासी कानून

के अनुसार सख्ती से पारित किए गए हैं, विशेष रूप से उक्त कमियों के अपरिहार्य परिणामों को ध्यान में रखते हुए।

25. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया था कि वर्तमान मामले में समानता का सिद्धांत प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि (याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा) ऊपर उल्लिखित निर्णय भिन्न तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के तहत पारित किए गए हैं और अपील के अधीन हैं, इसके अतिरिक्त, वे 2019 के अधिनियम और 2023 के विनियमों के प्रावधानों पर उचित ध्यान दिए बिना पारित किए गए हैं।

26. अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करते हुए और पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस juncture पर निर्विवाद तथ्यों को नोट करना उचित समझता है:-

26.1. कि याचिकाकर्ता सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है जिसका उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान को बढ़ावा देना और चिकित्सा शिक्षा तथा बड़े पैमाने पर चिकित्सा कल्याण का विकास करना है।

26.2. कि याचिकाकर्ता-सोसाइटी ने राज्य, आरयूएचएस और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों से पर्यावरण और सुरक्षा अनुमतियों से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद, 150 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु एनएमसी के समक्ष आवेदन किया था।

26.3. कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के उक्त परिसर में एक औचक सर्वेक्षण/निरीक्षण किया था और जनशक्ति की कमी, भवन योजनाओं और अवसंरचनात्मक कमी, और संकाय संख्या से संबंधित कुछ कमियाँ पाई थीं।

26.4. कि 03.04.2024 के कारण बताओ नोटिस के माध्यम से याचिकाकर्ता को विधिवत सूचित किया गया था, जिसमें विशिष्ट प्रविष्टियाँ (कमियाँ) सारणीबद्ध की गई थीं।

26.5. कि याचिकाकर्ता ने उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष दो अपीलें दायर की थीं। फिर भी, प्रथम अपील के न्यायनिर्णयन के दौरान सुधा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोटा

के डीन/प्राचार्य ने वी.सी. के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की थी और उन्हें विधिवत सुना गया था। उक्त प्राधिकारी ने एनएमसी/एमएआरबी द्वारा कमियों के संबंध में दिए गए कथनों से निष्पक्ष रूप से सहमति व्यक्त की थी और 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ उक्त मेडिकल कॉलेज (एमबीबीएस पाठ्यक्रम) स्थापित करने की पुष्टि भी की थी।

27. अतः, वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कथनों की तुलना करते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से वर्तमान याचिका को खारिज करना उचित समझता है:

27.1. 2019 के अधिनियम की धारा 28 और 57 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त विषय वस्तु के लिए विनियम बनाने का एकमात्र अधिकार एनएमसी और उसके साधनों के पास है। उक्त धाराओं के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिवादियों द्वारा एक विशिष्ट श्रेणी (सीट प्रवेश) के तहत उक्त स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अवसंरचनात्मक और बुनियादी आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। 02.06.2023 की अधिसूचना में सारणीबद्ध विभिन्न मानव संसाधनों की कुल अनिवार्य संख्या नीचे पुनरुत्पादित की गई है:

कुल संख्या

	प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर	कुल	ट्यूटर/डेमोंस्ट्रेटर	सीनियर रेजिडेंट
50 सीटें	14	20	25	59	15	23
100 सीटें	17	27	41	85	25	40
150 सीटें	19	40	55	114	32	58
200 सीटें	20	51	70	142	40	73
250 सीटें	20	62	86	168	43	80

27.2. इसके अतिरिक्त, उक्त तालिका के सरसरी तौर पर देखने पर यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि कारण बताओ नोटिस की सामग्री और प्रतिवादी विभाग द्वारा उक्त औचक निरीक्षण करते समय पाई गई कमियों के संबंध में दिए गए कथन सत्य थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/653/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(29/05/2025 को 01:00:29 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

विद्वान अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज में पाई गई शिक्षण संकाय की गंभीर कमियों यानी 20.18% और ट्यूटर/रेजिडेंट की कमियों यानी 18.97% के तथ्य के संबंध में दिए गए कथन सत्य हैं।

27.3. प्रतिवादी विभाग ने याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज के पास उपलब्ध संसाधनों पर उचित विचार करने के बाद एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के लिए 04.07.2024 का अनुमति पत्र (परिशिष्ट-9) आवंटित किया था, जो प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और सुरक्षा के मुद्दे के सीधे संबंध को देखते हुए सही प्रतीत होता है।

27.4. कि याचिकाकर्ता विवर्जन के सिद्धांत से बाध्य है क्योंकि सुधा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोटा के डीन/प्राचार्य ने एनएमसी/एमएआरबी द्वारा कमियों के संबंध में दिए गए कथनों से निष्पक्ष रूप से सहमति व्यक्त की थी और 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ उक्त मेडिकल कॉलेज (एमबीबीएस पाठ्यक्रम) स्थापित करने की पुष्टि भी की थी। सुविधा के लिए, 06.08.2024 के उक्त निर्णय (प्रथम अपील) से संबंधित उद्धरण नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

"अपील समिति ने कॉलेज प्राधिकारी को सुना और दस्तावेजों तथा अभिलेखों के साथ एमएआरबी के अवलोकन को पुनः सत्यापित किया।

केवल 90 उपलब्ध (150 सीटों के लिए 114 आवश्यक)। कॉलेज ने 100 एमबीबीएस सीटों के साथ एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एमएआरबी के निर्णय को जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। समिति एमएआरबी के निर्णय को बरकरार रखती है।"

27.5. इसके अतिरिक्त, 13.09.2024 का चुनौती दिया गया आदेश (याचिकाकर्ता द्वारा दायर द्वितीय अपील का निर्णय) एक स्पष्ट आदेश है जो वर्तमान विवाद के महत्वपूर्ण पहलुओं और दोनों पक्षों द्वारा दिए गए कथनों पर उचित विचार करने के बाद पारित किया गया है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अनिवार्य 114 संकाय और 90 अतिरिक्त कर्मचारियों (ट्यूटर और सीनियर रेजिडेंट) के बजाय बहुत कम जनशक्ति मौजूद थी,

साथ ही अन्य अवसंरचनात्मक कमियाँ भी थीं। सुविधा के लिए, उक्त आदेश से महत्वपूर्ण उद्धरण नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

"8. टीईजी और सीओओ की संयुक्त बैठक 21.08.2024 को हुई थी। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, निम्नलिखित अवलोकन किया गया।

- कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए 150 एमबीबीएस सीटों के साथ नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन किया था।

- एमएआरबी ने 04/07/2024 को शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए 100 एमबीबीएस सीटों के साथ कॉलेज शुरू करने के लिए अनुमति पत्र जारी किया, यह देखते हुए कि:- मूल्यांकन के दिन केवल 01 प्रसव 100 सीटों के लिए पर्याप्त है। कमी - 150 एमबीबीएस सीटों के लिए संकाय 20.18% और सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर- 18.97%। 150 सीटों के लिए संकाय की कमी स्वीकार की गई। शेष नैदानिक सामग्री पर्याप्त है और बुनियादी ढांचा पूरा है। अतः, केवल 100 सीटें प्रदान की गईं।

कॉलेज ने एमएआरबी के आदेश के खिलाफ 10.07.2024 को एनएमसी के समक्ष प्रथम अपील दायर की। प्रथम अपील में, एनएमसी ने 06/08/2024 के आदेश द्वारा एमएआरबी के निर्णय को बरकरार रखा। उसके बाद, कॉलेज ने प्रथम अपील में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा पारित 06/08/2024 के आदेश के खिलाफ 07/08/2024 को दूसरी अपील दायर की, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 150 एमबीबीएस सीटों के साथ कॉलेज शुरू करने की अनुमति का अनुरोध किया गया था। कॉलेज ने अपनी दूसरी अपील में सूचित किया कि निरीक्षण के दिन 115 संकाय उपस्थित थे। जिनमें से 97 एईबीएस पर पंजीकृत थे और शेष 18 संकाय आधार कार्ड अपडेट के कारण एईबीएस पर

पंजीकृत नहीं हो पाए थे। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास 58 सीनियर रेजिडेंट हैं लेकिन मूल्यांकनकर्ताओं ने केवल 30 सीनियर रेजिडेंट गिने। शेष 28 सीनियर रेजिडेंट को ट्यूटर के रूप में गिना गया।

कॉलेज ने प्रस्तुत किया कि उनके पास 610 बिस्तर और 1240 ओपीडी हैं जो एनएमसी मानदंडों के अनुसार 150 एमबीबीएस के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रति दिन प्रसव की संख्या 4-5 है। निरीक्षण से एक दिन पहले भारी बारिश के कारण प्रसव की संख्या कम थी।

समिति ने अवलोकन किया कि मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संकाय में 20.18% और ट्यूटर/रेजिडेंट में 18.97% की कमी है। एमएआरबी और एनएमसी ने भी 150 एमबीबीएस सीटों के लिए शिक्षण संकाय में कमी का अवलोकन किया है। अतः, उन्होंने 100 एमबीबीएस सीटों के लिए अनुमति प्रदान की है।

समिति ने यह भी अवलोकन किया कि मूल्यांकन के दिन केवल दो प्रसव हुए थे।

इसलिए, 150 एमबीबीएस सीटों के लिए नैदानिक सामग्री में भी कमी है।"

27.6. अब तक किए गए अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज 150 सीटों की प्रवेश क्षमता के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम मानदंड को पूरा करने में असमर्थ था/है। उक्त मानदंड 2019 के अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। ऊपर उल्लिखित प्रावधान को नीचे दोहराया गया है:

"29. योजना को अनुमोदित या अस्वीकृत करने के मानदंड।—

***धारा 28 के तहत एक योजना को अनुमोदित या अस्वीकृत करते समय, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, या आयोग, जैसा भी**

मामला हो, निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा, अर्थात्:—

*** (क) वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता;**

(ख) क्या मेडिकल कॉलेज के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक संकाय और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं या योजना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी;

(ग) क्या पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं प्रदान की गई हैं या योजना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी;

(घ) ऐसे अन्य कारक जो निर्धारित किए जा सकते हैं: बशर्ते कि, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन, उन मेडिकल कॉलेजों के लिए मानदंडों में छूट दी जा सकती है जो ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

27.7. इसके अतिरिक्त, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (केआईएमएस) एंड अन्य में समाहित सिद्धांत पर भरोसा किया जा सकता है, जो 2016 (11) **SCC 530** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया है कि उन मामलों में जहां सांविधिक प्रावधान मौजूद हैं और विशेषज्ञ प्राधिकारी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं/कर चुके हैं, न्यायिक प्राधिकारी तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि कानून का पर्याप्त उल्लंघन न हो। ऊपर उद्धृत सिद्धांत से संबंधित प्रासंगिक अंश नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

"21. उच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि इसने निरीक्षण टीम की नवीनतम रिपोर्ट पर इस तरह विचार किया जैसे कि वह रिपोर्ट के खिलाफ अपील सुन रहा हो। ऐसा करते हुए, उच्च न्यायालय अस्पताल में शिक्षण बिस्तरों की संख्या, ओपीडी विभाग में सीमाएं, सामान्य चिकित्सा, बाल रोग आदि विषयों में उपलब्ध इकाइयों की संख्या, बिस्तर अधिभोग, सिजेरियन सेक्शन की संख्या, प्रमुख और मामूली

ऑपरेशनों के डेटा में विसंगति,*संस्थान में कंप्यूटरीकरण, आईसीयू में मरीजों की संख्या, स्थिर एक्स-रे मशीनों की संख्या, परीक्षा हॉल, व्याख्यान थिएटर, पुस्तकालय, छात्र छात्रावास, इंटर्न छात्रावास, खेल का मैदान आदि की कमी से संबंधित मुद्दों पर बहुत विस्तार से गया। निश्चित रूप से, यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय के दायरे में नहीं था।

22. उच्च न्यायालय ने इस बात की सराहना नहीं की कि निरीक्षण प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के प्रतिष्ठित प्रोफेसरों द्वारा किया गया था जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और केआईएमएस में संकायों पर एक निष्पक्ष रिपोर्ट देने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति थे। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को निश्चित रूप से निरीक्षण रिपोर्ट की सामग्री की सूक्ष्मता से जांच करने और उसके 18 मर्दों में से प्रत्येक के संबंध में केआईएमएस की आपत्तियों के विरुद्ध उनका मूल्यांकन करने का कार्य नहीं सौंपा गया था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने गंभीर रूप से विवादित तथ्यात्मक मुद्दों में उद्यम करने में इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया।

24. चिकित्सा शिक्षा को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जब एक विशेषज्ञ निकाय यह प्रमाणित करता है कि एक मेडिकल कॉलेज में संकाय अपर्याप्त हैं, तो न्यायालय इस मामले में एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए सुसज्जित नहीं हैं, सिवाय बहुत ठोस क्षेत्राधिकार संबंधी कारणों जैसे कि निरीक्षण टीम की दुर्भावना, निरीक्षण रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया विकृति, एमसीआई की ओर से क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि आदि के। किसी भी परिस्थिति में उच्च न्यायालय को एक अपीलीय निकाय के रूप में रिपोर्ट की जांच नहीं करनी चाहिए - यह उच्च न्यायालय का कार्य

नहीं है। वर्तमान मामले में निरीक्षण टीम की रिपोर्ट को रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था।"

27.8. फैजा चौधरी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य में, जो 2010 (10) SCC

149 में रिपोर्ट किया गया है, यह राय दी गई थी:

"11. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार ने प्रस्तुत किया कि अन्य मेधावी उम्मीदवारों की कीमत पर अपीलकर्ता के लिए वर्ष 2012 के लिए एमबीबीएस सीट आरक्षित करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह माना है कि यह न्यायालय एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए सीटों को बढ़ाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश जारी करने में उदार या व्यापक नहीं हो सकता है।

12. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। हम कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी इस विचार के हैं कि अपीलकर्ता को वर्ष 2010 की रिक्त एमबीबीएस सीट के लिए वर्ष 2011 या बाद के वर्षों में कोई दावा करने का अधिकार नहीं है। बोर्ड को वह सीट एक अन्य महिला उम्मीदवार, यानी नुसरत राशिद को आवंटित करनी चाहिए थी, जिसने 121 अंक प्राप्त किए थे। चूंकि मुकदमा चल रहा था, वह उस सीट के लिए अनिश्चित काल के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी और इसलिए उसने बीडीएस सीट स्वीकार कर ली थी। योग्यता क्रम में अगले दो उम्मीदवार मेहरुल-निसा और फराह चौहान थे, जिन्होंने प्रत्येक ने 18 अंक प्राप्त किए थे, हालांकि उन्हें एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। अपीलकर्ता से ऊपर रैंक वाली एक अन्य उम्मीदवार अबिदा परवीन को तत्कालीन चल रहे मुकदमे के कारण बीडीएस सीट से संतुष्ट होना पड़ा, कहीं ऐसा न हो कि वह वह सीट भी खो दे।"

27.9. इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय इस तथ्य को स्वीकार करता है कि चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों के लिए, विशेष निकाय स्थापित किए जाते हैं जो विशेष कानूनों द्वारा शासित होते हैं। अतः, न्यायालयों को इसमें कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए कि सीटों के चयन का स्वतः लॉक होना 23.10.2024 को समाप्त हो जाएगा, इस विलंबित चरण पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पर विचार करने से अंतहीन मुकदमेबाजी के लिए समस्याओं का पिटारा खुल जाएगा, इसके अलावा, यह मेधावी छात्रों के अधिकारों को प्रभावित करेगा।

28. इसके अतिरिक्त, समानता बनाए रखने के संबंध में दिए गए कथन स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत मामलों से भिन्न तथ्यात्मक पृष्ठभूमि है। फिर भी, नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों को शुरू करने, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन तथा रेटिंग विनियम, 2023 के संदर्भ में, एमएआरबी ने शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए अपने दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, उक्त दिशानिर्देशों के दिशानिर्देश 2(ए) के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले, केवल वे कॉलेज जिनके संकाय की संख्या पिछले तीन महीनों से आवेदन की अंतिम तिथि (अर्थात 19.09.2023) तक एईबीएस प्लेटफॉर्म पर 75% से अधिक उपस्थिति है, उन्हें मेडिकल कॉलेज की स्थापना और/या स्वीकृत प्रवेश क्षमता के नवीनीकरण के लिए पात्र माना जाएगा। हालांकि, याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज द्वारा उक्त शर्त पूरी नहीं की गई है।

28.1. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया **तिरुपति बालाजी एजुकेशन ट्रस्ट और अन्य (सुप्रा)** का निर्णय अपील के लिए खुला है। इसके अतिरिक्त, यह दावा किया जाता है कि उक्त सिद्धांत 2019 के अधिनियम और संबद्ध कानूनों के प्राथमिक प्रावधानों पर विचार किए बिना पारित किया गया है। अतः, यह न्यायालय सावधानी बरतने के पक्ष में रहेगा और उक्त सिद्धांत पर भरोसा नहीं करेगा।

28.2. यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायतों के संबंध में अपील करने के प्रभावी तरीके का प्रयोग नहीं किया है, अर्थात् 2019 के अधिनियम की धारा 28(5) के तहत अपील आवेदन, प्रतिवादियों द्वारा छह महीने की अवधि के भीतर वर्तमान विवाद पर विचार न करने के अपने कथनों के संबंध में।

28.3. इसके अतिरिक्त, कृष्णा प्रिया गांगुली और अन्य बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य में प्रतिपादित सिद्धांत पर भी भरोसा किया जा सकता है, जो (1984) 1 SCC 307 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें यह माना गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी उच्च न्यायालय को शैक्षणिक निकायों के नियमों और विनियमों में ढील देने की अनुमति नहीं है। ऊपर उद्धृत सिद्धांत का प्रासंगिक अंश नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

"26. उच्च न्यायालय प्रवेश के लिए अपना मानदंड तैयार नहीं कर सकता था। चूंकि शैक्षणिक निकाय ने एमबीबीएस परीक्षा में प्राप्त अंकों को मानदंड बनाया है, इसलिए प्रवेश ऐसे मानदंड से किया जाना था। उच्च न्यायालय ऐसे शैक्षणिक मामले में अपनी धारणाएँ प्रस्तुत नहीं कर सकता था। उच्च न्यायालय ऐसा करने में सक्षम नहीं था और उसे अपनी विचारधारा थोपने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।"

28.4. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है, जो (2014) 2 SCC 305 में रिपोर्ट किया गया है:

"180. अतः, मेरा विचार है कि एमसीआई और डीसीआई अपने संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने के हकदार हैं, जो उन्हें समग्र व्यावसायिक मानकों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने में सक्षम बनाते हैं।

181. मुझे अब यह देखना है कि क्या उपर्युक्त शीर्ष निकायों को नीट आयोजित करने की अनुमति देने वाले कानूनी प्रावधान,

ताकि चिकित्सा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश को विनियमित किया जा सके, कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हैं। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर इस न्यायालय द्वारा डॉ. प्रीति श्रीवास्तव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (1999) 7 SCC 120 के मामले में सही ढंग से दिया गया है कि प्रवेश के मानदंड शिक्षा के मानकों पर सीधा प्रभाव डालेंगे। इस न्यायालय ने अवलोकन किया है कि किसी भी संस्थान या कॉलेज में शिक्षा के मानक कई कारकों पर निर्भर करेंगे और संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की योग्यता भी प्रासंगिक कारकों में से एक होगी। इसके अलावा, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 के मद्देनजर, संघ के साथ-साथ राज्यों को भी चिकित्सा शिक्षा के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, जो सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 के प्रावधानों के अधीन है, जो उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानकों के निर्धारण से संबंधित है। इन परिस्थितियों में, एक राज्य को शिक्षा, जिसमें चिकित्सा शिक्षा भी शामिल है, को नियंत्रित करने का अधिकार है, जब तक कि यह क्षेत्र किसी भी केंद्रीय कानून द्वारा खाली है। सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 66 के आधार पर, संघ उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानकों के निर्धारण के संबंध में कानून बना सकता है। इसी तरह, सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 में संघ को दी गई शक्ति के तहत उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानकों के निर्धारण के संबंध में बनाए गए अधिनियमों, कानूनों के अधीन, राज्य भी शिक्षा से संबंधित कानून बना सकता है, जिसमें तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा शामिल है। डॉ. प्रीति श्रीवास्तव (सुप्रा) के मामले में स्पष्ट की गई उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर, नीट अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार एमसीआई की देखरेख में आयोजित किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है,

अधिनियम की धारा 33 एमसीआई को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियम बनाने में सक्षम बनाती है और इसलिए, नीट का संचालन पूरी तरह से कानूनी है।"

28.5. डॉ. प्रीति श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य में समाहित सिद्धांत पर भी भरोसा किया जा सकता है, जो (1999) 7 SCC 120 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें निम्नानुसार राय दी गई थी:

"37. यह कहना सही नहीं होगा कि प्रवेश के मानदंडों का शिक्षा के मानक से कोई संबंध नहीं है, या कि प्रवेश के नियम केवल सूची-III की प्रविष्टि 25 द्वारा कवर किए गए हैं। प्रवेश के मानदंडों का शिक्षा के मानकों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। बेशक, प्रवेश के लिए ऐसे नियम हो सकते हैं जो संघ द्वारा सूची-I की प्रविष्टि 66 के तहत शक्तियों के प्रयोग में निर्धारित शिक्षा के मानकों के अनुरूप हों या उन्हें प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें। उदाहरण के लिए, एक राज्य, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, सूची-I की प्रविष्टि 66 के तहत निर्धारित योग्यताओं के अतिरिक्त योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। यह उच्च शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उच्च मानकों को बढ़ावा देने के अनुरूप होगा। लेकिन निर्धारित मानदंडों में कोई भी कमी, उच्च शिक्षा के संस्थानों में शिक्षा के मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और डालती है। किसी संस्थान या कॉलेज में शिक्षा के मानक विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। इनमें से कुछ हैं:

(1) शिक्षण कर्मचारी की योग्यता;

(2) दिए गए समय में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उचित पाठ्यक्रम;

(3) छात्र-शिक्षक अनुपात;

(4) छात्रों और प्रत्येक छात्र के लिए उपलब्ध अस्पताल बिस्तरों के बीच का अनुपात;

(5) संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों की योग्यता;

(6) चिकित्सा कॉलेजों के मामले में प्रशिक्षण के लिए उपकरण और प्रयोगशाला सुविधाएं, या अस्पताल सुविधाएं;

(7) कॉलेज और संलग्न अस्पताल के लिए पर्याप्त आवास; और

(8) आयोजित परीक्षाओं का मानक जिसमें प्रश्नपत्रों को निर्धारित करने और जांचने का तरीका और नैदानिक प्रदर्शन का मूल्यांकन शामिल है।

38. किसी भी कॉलेज या संस्थान में शिक्षा के मानकों पर विचार करते समय, उस संस्थान या कॉलेज में प्रवेश पाने वाले छात्रों की योग्यता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि छात्र उच्च योग्यता के हैं, तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उपयुक्त रूप से ढाला जा सकता है ताकि वे उच्च स्तर के शिक्षण से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। यदि छात्रों की योग्यता निम्न है या वे दिए जा रहे निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो शिक्षण का स्तर स्वाभाविक रूप से कम करना होगा ताकि उन्हें उस पाठ्यक्रम को समझने में मदद मिल सके जिसे उन्होंने लिया है; और शिक्षा और प्रशिक्षण के उन स्तरों तक पहुंचना संभव नहीं हो सकता है जो एक मेधावी समूह के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षा में शिक्षकों और छात्रों के बीच निरंतर बातचीत शामिल है। शिक्षण की गति, शिक्षण का स्तर और छात्रों को अंततः मिलने वाला लाभ, छात्रों की योग्यता पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि शिक्षकों की योग्यता और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर। यही कारण है

कि उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर कम छात्र-शिक्षक अनुपात को आवश्यक माना गया है, विशेष रूप से जब दिया जाने वाला प्रशिक्षण अत्यधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण हो जिसमें व्यक्तिगत ध्यान और उन छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता हो जो पहले से ही डॉक्टर हैं और जिनसे अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के दौरान रोगियों का इलाज करने की उम्मीद की जाती है।"

29. उपरोक्त का सारांश यह है कि कृष्णा प्रिया गांगुली और अन्य (सुप्रा) और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और अन्य (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांत का विशेष ध्यान रखते हुए, यह न्यायालय सावधानी बरतने को प्राथमिकता देगा और ऐसे शैक्षणिक/विशेषीकृत क्षेत्र ज्ञान से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा; कि डॉ. प्रीति श्रीवास्तव (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, प्रतिवादी-एनएमसी एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में सीटों के प्रवेश के लिए नियम और विनियम बनाने के लिए उचित प्राधिकारी है; कि चुनौती दिया गया आदेश दिनांक 06.08.2024 और 13.09.2024 एमएआरबी निरीक्षण टीम द्वारा तैयार विशेषज्ञों की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक कारकों के उचित मूल्यांकन के बाद पारित किए गए हैं, अतः, इसमें कोई स्पष्ट त्रुटि, अवैधता या मनमानी नहीं है; कि याचिकाकर्ता ने शासी कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार अपील नहीं की; कि याचिकाकर्ता विवर्जन के सिद्धांत से बाध्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता-मेडिकल कॉलेज के डीन/प्राचार्य ने प्रथम अपील के न्यायनिर्णयन के दौरान विरोधी पक्ष द्वारा किए गए कथनों से निष्पक्ष रूप से सहमति व्यक्त की है और केवल 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ कॉलेज की स्थापना की पुष्टि की है।

30. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और नोट किए गए अवलोकनों के आलोक में, वर्तमान याचिका किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए जाएंगे।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

अनिल शर्मा / 19

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

